रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19012026-269408
CG-DL-W-19012026-269408

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 1] नई दिल्ली, जनवरी 11—जनवरी 17, 2026, शनिवार/पौष 21—पौष 27, 1947
No. 1] NEW DELHI, JANUARY 11—JANUARY 17, 2026, SATURDAY/ PAUSHA 21—PAUSHA 27, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 1.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (ट्यूटर) भर्ती नियम, 2018 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन परिचर्या महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में अनुशिक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिचर्या महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, अनुशिक्षक, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अनुशिक्षक	22*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)।	लागू नहीं होता।	पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक नही (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा पाँच वर्ष तक शिथिल होगी।) **टिप्पण** : संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।	आवश्यक योग्यता: (क) शैक्षिक अर्हताएं: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से परिचर्या में सनात्कोतर उपाधि; और (ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के परिचर्या परिषद के साथ रजिस्ट्रीकृत परिचारिका और सेविका, और (ख) अनुभव: परिचर्या निष्णात पूरा करने के पश्चात दो वर्ष का नैदानिक अनुभव।

						टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, विवेकानुसार, अर्हन्ताओं में, शिथिलता प्रदान की जा सकेगी । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष। **टिप्पण :** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक प करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबी बीमार या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकेगा: (क) (i) जो नियमित आधार पर मूल संवर्ग या विभाग में सद्रश पद धारण कर रहे है; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	लागू नहीं होता।

		विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. सम्बंधित उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 3. परिचर्या सलाहकार या सहायक महानिदेशक (परिचर्या), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य। 4. आचार्य – सह – प्राचार्य अथवा आचार्य – सह- उप प्राचार्य, परिचर्या महाविद्यालयलेडी हार्डिंग , मेडिकलमहाविद्यालय – सदस्य 5. सम्बंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.11018/01/2023-एमई/एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 7th January, 2026

G.S.R. 1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the College of Nursing, Lady Hardinge Medical College and Smt Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Tutor) Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Tutor in the College of Nursing, Lady Hardinge Medical College and Smt Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, College of Nursing, Lady Hardinge Medical College and Smt Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Tutor (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Tutor.	22* (2026) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).

Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding thirty five years of age. (Relaxable for the Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-**The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential qualifications: (a) Educational qualifications: (i) Master's degree in Nursing from a recognised University or institute; and (ii) registered as Nurse and Midwife with the Central Government or State Government Nursing Council; and (b) Experience: Two years of clinical experience after completion of Master's of Nursing. **Note 1**.- The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.**-The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be

		available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	One year. **Note.-**There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note.-** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more shall be filled by deputation basis from officers of the Central Government:- (a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Departmental ConfirmationCommittee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director General (concerned), Directorate General of Health Services – Chairperson;	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

2. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services - Member; 3. Nursing Advisor or Assistant Director General (Nursing), Directorate General of Health Services - Member; 4. Professor-cum-Principal or Professor-cum-Vice Principal, Lady Hardinge Medical College, College of Nursing -Member; and 5. Deputy Director (concerned), Directorate General of Health Services -Member.	

[F. No. A.11018/01/2023-ME/MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 2.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1997 को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-I (रसायन विज्ञान) के पद से हैं, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन , केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, मुंबई, ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी.	1* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित , गैर-अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (रु. 67700-208700)।

चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(5)	(6)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।
(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/ प्रोन्नति:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी,- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान या जैव रसायन या भेषजी या भेषजिकी रसायन या

		भेषजगुण विज्ञान या जीवाणु विज्ञान या चिकित्सा या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री ; और (ii) औषधि परीक्षण या मानकीकरण या अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** वेतन मैट्रिक्स (₹56100-177500) के स्तर-10 में कार्यरत विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अहर्ताएं और अनुभव हो, को बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन पद पर नियुक्ति के लिए हो जाता है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।
(12)
लागू नहीं होता।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/05/2020-डीआर]

अंशु कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 9th January, 2026

G.S.R. 2.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Drugs Testing Laboratory, Bombay (Group ‘A’ posts) recruitment rules, 1997, in so far as they relate to the post of Senior Scientific Officer-I (Chemistry), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Scientific Officer in the Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Drugs Standard Control Organisation, Central Drugs Testing Laboratory, Mumbai, Senior Scientific Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2**. Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Scientific Officer.	1* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**
(5)	(6)
Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.**
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By deputation (including short-term contract)/ promotion.	Deputation (including short-term contract)/ promotion:- Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administration or autonomous body or statutory organization or public sector undertakings or

		recognised University or recognised research institution,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :- (i) Master's degree in Chemistry or Biochemistry or Pharmacy or Pharmaceutical Chemistry or Pharmacology or Bacteriology or Medicine or Microbiology or Biotechnology of a recognised University or institute; and (ii) five years experience in drugs testing or standardization or research. **Note 1:** The departmental Scientific Officer in level-10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years regular service in the grade having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(12)
Not applicable.

Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/05/2020-DR]

ANSHU KUMAR, Under Secy.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 3.—सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक40) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को, जो विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के अधिकारी होने के नाते भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के पद के समकक्ष हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **संपदा अधिकारी** नियुक्त करती है।उक्त अधिकारी सं पदाअधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उक्त अधिनियम के तहत, उक्त तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के संबंध में अपनी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे।

तालिका

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम और पदनाम**	**सार्वजनिक परिसरों की श्रेणियां**	**कार्यकाल**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री ए.सी. विकास, उप मुख्यअभियंता, वि.पो.प्रा.	विशाखापत्तनम पोर्ट प्राधिकरण के न्यासी बोर्ड के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन और उसके तहत आने वाले परिसर।	पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह उक्त पद पर बने रहते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।
2	श्री वी. कृष्णकिशोर, संयुक्त निदेशक (नगर नियोजन	विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली सभी भूमि और परिसर।	पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह उक्त पद पर बने रहते हैं, इनमें से जो भी पहले हो।

2. उक्त नियुक्तियां आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए- -43015/32/2023-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

New Delhi, the 9th January, 2026

G.S.R. 3.—In exercise of the powers conferred by section-3 of the Public Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of table below, being officers of the Visakhapatnam Port Authority equivalent to the rank of the gazette officer of the Government of India to be Estate Officer for the purposes of the said act and the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column (3) of the said table.

Sl.No.	Name & Designation of the officer(s)	Categories of Public Premises	Tenure
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sri.A.C.Vikas, Dy. Chief Engineer, VPA.	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Visakhapatnam Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
2	Sri V.Krishna Kishore, Joint Director (Town Planning)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Visakhapatnam Port Authority.	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette

[F. No. A-43015/32/2023-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 4.—दिनांक 12.12.2022 की अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 880(ई) के अधिक्रमण में, लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं. 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नीचे दर्शाई गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के अधिकारी होने के नाते उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त अधिकारीगण उक्त तालिका के कॉलम (3) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लोक परिसरों से संबंधित अपने संबद्ध अधिकार की स्थानीय सीमा के अंदर उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन"संपदा अधिकारी" पर अधिरोपित कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे:

क्रम. सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिकार क्षेत्र की सीमा	कार्यकाल
1	**2**	**3**	**4**
1.	श्री नरेंद्रनायक, समुद्री इंजीनियर ग्रेड-I	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेगें, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
2.	श्री हेमंतकुमार भास्कर, अधिशासी अभियंता (सिविल)	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेगें, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
3.	श्री तुषारकुमार पटेल, उप यातायात प्रबंधक	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेगें, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
4.	श्री चेतन जेनिया, अधिशासी अभियंता (सिविल)	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेगें, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
5.	श्री मुनीब अंसारी, अधिशासी अभियंता	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेगें, जो भी पहले हो, के लिए

	(सिविल)	सभी भूमि और परिसर	कार्यात्मक
6.	श्री जिगर ठक्कर, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेगें, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
7.	श्री दिलीप शाहनी, लेखा अधिकारी	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेगें, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक
8.	श्री निकुंज सोलंकी, सहायक अधिशासी अभियंता (विधुत)	कंडला एवं गांधीधाम में दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन से संबंधित तथा इनके अधीन सभी भूमि और परिसर	पाँच वर्ष अथवा जब तक वे बोर्ड में सेवारत्त रहेगें, जो भी पहले हो, के लिए कार्यात्मक

2. उक्त नियुक्तियां सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए-12011/8/2019-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 9th January, 2026

G.S.R. 4.— In supersession of Notification G.S.R. No. 880(E) dated 12.12.2022, the Central Government by exercise of the powers conferred under Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), hereby appoints the officers of Deendayal Port Authority mentioned in the Column (2) of the below Table, to be Estate Officers for the purpose of the said Act, and the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the 'Estate Officer' by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdiction in respect of the Public Premises, specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table;

Sr. No.	**Name & Designation of the Officer**	**Limits of Jurisdiction**	**Tenure**
1	**2**	**3**	**4**
1.	Shri Narendra Naik, Marine Engineer Gr.I	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
2.	Shri Hemant kumar Bhaskar, Superintending Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
3.	Shri Tushar kumar Patel, Dy. Traffic Manager	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
4.	Shri Chetan Jeniya, Executive Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
5.	Shri Muneeb Ansari, Executive Engineer (Civil)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
6.	Shri Jigar Thakkar, Sr.	All lands & premises belonging to and	For a period of five years or till he

	Accounts Officer	under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	remains in service, whichever is earlier
7.	Shri Dilip Shahani, Accounts Officer	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier
8.	Shri Nikunj Solanki, Asstt. Executive Engineer (E)	All lands & premises belonging to and under the ownership, control and Management of the Deendayal Port Authority	For a period of five years or till he remains in service, whichever is earlier

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/8/2019-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.19 09:51:12 +05'30'